सं. ए.12018/2/2020-डीआरएस (भाग-I)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय आरटीडीएल, गुवाहटी, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के पद के भर्ती नियम तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव की जाँचकर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले,इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार,

दूरभाष:- 011-23061141

अधिसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	2* (2022) *कार्यभार में भिन्नता के शर्ताधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह -'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर -2	अचयन	वर्ष 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1.: आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख के अनुरूप होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा ,में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i): मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य अर्हता (ii): मैनुअल टाइपिंग में अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट अथाव कम्प्युटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट	जी, हां। (i) 85% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10% रिक्तियां विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर, पे-लेवल-1 में समूह-ग कर्मचारियों जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता है और इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है, में से भरी जाएगी।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

		परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष) टिप्पणी: यदि परीक्षा में खंड (ii) के तहत ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, अर्हता प्राप्त ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाए। (iii) 5% रिक्तियां समूह-ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं स्वस्थता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने पे-लेवल-1 के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।	
भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(10)	(11)	(12)	(13)

(i) 85% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10% रिक्तियां विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर, पे-लेवल-1 में समूह-ग कर्मचारियों और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता है और इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है में से भरी जाएगी परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष) टिप्पणी: परीक्षा में खंड (ii) के तहत यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, अर्हता प्राप्त ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर उत्तरवर्ती वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व	(i) 10% रिक्तियां विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर, पे-लेवल-1 में समूह-ग कर्मचारियों और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने या समकक्ष अर्हता है और इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है में से भरी जाएगी परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष) नोट:- यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो खण्ड-II के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर कर्मचारियों की इतनी अधिक संख्या को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को योग्यता प्राप्त हो पहले की परीक्षा पर उन लोगों से पहले विचार किया जाता है जो बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। (ii) 5% रिक्तियां समूह-ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं स्वस्थता के आधार पर भरी	<u>पदोन्नति पर विचार करने हेतु समूह ग विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. निदेशक, प्रादेशिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहटी-अध्यक्ष 2. उप-निदेशक प्रशासन (औषध) - सदस्य 3. केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला के समूह-क अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं

परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाए। (iii) 5% रिक्तियां समूह-ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं स्वस्थता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने वेतनमान (18000-56900 रु.) के साथ पे-लेवल-1 के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।	जाएगी जिन्होंने पे-लेवल-1 के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।		

[सं. ए.12018/2/2020-डीआरएस (भाग-I)]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार